(23)

संख्या–527 / XII / 2014 / 90(07)2010–टी0सी0–1

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग देहरादून दिनांक 21 फरवरी, 2014।

विषयः– पंचायतीराज विभाग की जिला पंचायतों के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कर्मचारियों के पदनाम/वेतनमान संशोधित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, निदेशालय पंचायतीराज उत्तराखण्ड देहरादून के शासकीय पत्रांक–230/जि0पं0अनु0को0/484/2013–14, दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–373/XXVii(7)/27/(2)/2013, दिनांक 16 जनवरी, 2013 के कम मे जिला पंचायतों में सृजित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों एवं राज्य सरकार के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों में एकरूपता लाये जाने के दृष्टिगत राज्य सरकार के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग की भॉति सृजित जिला पंचायतों में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदनाम एवं वेतनमान को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0 सं0	वर्तमान पदनाम, वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	संशोधित पदनाम, वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन
1	कनिष्ठ सहायक रू05200–20200–ग्रेड पे– रू0 1900	कनिष्ठ सहायक रू0 5200–20200–ग्रेड पे रू0 2000
2	प्रवर सहायक रू0 5200–20200–ग्रेड–पे रू0 2400	वरिष्ठ सहायक रू0 5200–20200–ग्रेड पे रू0 2800
3	मुख्य सहायक रू0 5200–20200–ग्रेड–पे रू0 2800	प्रधान सहायक रू0 9300–34800–ग्रेड पे रू0 4200
4	प्रशासनिक अधिकारी रू0 9300–34800–ग्रेड–पे रू0 4200	प्रशासनिक अधिकारी रू0 9300–34800–ग्रेड–पे रू0 4600

2– उक्त पदों का वेतनमान संशोधित होने पर अतिरिक्त व्ययभार को जिला पंचायतों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–224/XXVii(7), दिनांक 21.2.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

Seen

मु0 निदेशक
25/2/2014

भवदीय

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या-527/XII/2014/90(07)2010–टी0–1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव क कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त कुमायू/गढ़वाल मण्डल।
2. समस्त, जिलाधिकारी/प्रशासक, उत्त खण्ड।
3. निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय उ खण्ड देहरादून।
4. संयुक्त निदेशक, जिला पंचाय श्रवण कोष्ठक, पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त वित्तीय परामर्शदाता जिला पं त उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शा
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(विनोद फोनिया)

सचिव।